162

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

दिनांकः- 10.07.2012

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 -1/श0 स्था0 नि0/14280/682

JS-cum-JD/Sec-9

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

3750/PS
30/7/12

महाशय,

नगर पंचायत नवगछिया के वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 549/11-12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अंदर करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

11/7/12

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर-1
बिहार, पटना

111
01/8/12

नगर पंचायत नवगछिया
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–549/11–12
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत नवगछिया के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के लेखाओं का अंकेक्षण प्रधान महलेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.11.11 से 18.11.11 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी थे।

कम संख्या	नाम	कार्यकाल
	अध्यक्ष	
1	रेखा देवी	01.04.08 से 23.06.09
2	अरूण कुमार यादव (कार्यकारी)	26.06.09 से 28.07.09
3	विभा देवी	28.07.09 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष	
1	अरूण कुमार यादव	01.04.08 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	ईश्वरी नारायण विश्वकर्मा	01.04.08 से 31.12.08
2	सुधीर कुमार	01.01.09 से 02.03.09
3	दिनेश राम	03.03.09 से 01.04.10
4	विजय कुमार उपाध्यक्ष	02.04.10 से 24.03.11
5	श्री संजय कुमार	25.03.11 से 31.03.11

3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में जॉच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट –I में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधुरा संधारित था या संधारित नहीं था को परिशिष्ट –II में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण की स्थिति नीचे दी जा रही है।

क0	अंकेक्षण प्रतिवदेन सं0	कुल कंडिका	निस्तारित कंडिका की सं0	बकाया कंडिका
1	206/85–86 वास्ते 1981–82 से 1982–93	30	18	12
2	140/86–87 वास्ते 1983–84 से 1985–86	25	15	10
3	8/200–01 वास्ते 1986–87 से 1992–93	34	25	09
4	65/2002–03 वास्ते 1993–94 से 2001–02	27	09	18
5	190/2008–09 वास्ते 2002–03 से 2007–08	32	0	32
			कुल	81

उपर्युक्तलिखित में से दो प्रतिवेदन सं0 65/2002–03 तथा 190/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन दिया गया था जिसमे से क्रम सं0 8 कंडिकाएँ तथा 15 कंडिकाएँ निरस्त करने का अनुशंसा किया गया है।शेष 58 कंडिकाओं का निस्तारण हेतु प्रयास किये जाएँ जिससे की लेखा परीक्षा के उद्देश्य पूर्ण रूपेण सफल हों।

5. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धि

लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धि निम्न रही

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरणी
1	08	अनुदान
2	10	वेतन अनुदान
3	11	पथ एवं नाला अनुदान
4	15	बन्दोबस्ती
5	20	VAT एवं आयकर की कम कटौती
6	20A	चापाकल निर्माण
7	21	वैट की कटौती नहीं
8	24	अनियमित भुगतान (सेवानिवृत नहीं कराने के कारण)
9	28	सोलर लाईट

6. स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

नगर पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत बल का पत्रांक अप्रयाप्त था। वेतन मॉग संचिका के अनुसार 40 स्वीकृत बल था जबकि दिनांक 31.03.2011 को कार्यरत बलों की संख्या 14 थी। जिसमें एक प्रधान सहायक सह लेखापाल एक अनुसेवक तथा 12 सफाई कर्मी थे। पुनः अन्य संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित कर्मचारी संविदा पर नियुक्त थे।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	प्राप्त भुगतान (31.03.2011)
1	श्री संजय कुमार झा	कर संग्रहकर्त्ता	15.11.2007	2500.00
2	श्री सुमित कुमार देव	क0 अभियंता	15.11.2007	3000.00
3	श्रीमति किरण कुमारी	अनुसेवक	15.11.2007	2000.00
4	श्री प्रीतम कुमार	कम्प्यूटर संचालक	29.06.2007	3000.00
5	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मंडल	अमीन सह कर दरोगा	14.03.09	2500.00
6	श्री संतोष कुमार	सहायक लिपिक	27.06.09	2500.00

इनके अलावा दैनिक वेतन पर निम्न कर्मचारी थे।

1	श्री भुटो पासवान	ड्राईवर
2	मो0 रूकसार	ड्राईवर
3	मो0 मोजिल	ड्राईवर
4	श्री अमित कुमार	लिपिक
5	श्री मृगेन्द्र कुमार	लिपिक

इस संबंध में सरकार को पत्र नगर पंचायत के पत्रांक सं0 305 दिनांक 03.09.2011 द्वारा भेजा गया था जिसका जवाब अप्राप्त था।

7. अधिदृश्य

नगर पंचायत नवगछिया द्वारा संधारित रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी।

वित्तीय वर्ष 2008–09

प्रारंभिक अवशेष (01.04.2008)	₹9693827.60
चालू वर्ष में कुल प्राप्ति	₹6675968.21
कुल प्राप्ति	₹16369795.81
चालू वर्ष में किया गया कुल व्यय	₹4312527.42
अंतिम शेष (31.03.2009)	₹12057268.39

वित्तीय वर्ष 2009–10

प्रारंभिक अवशेष (01.04.2009)	₹12057268.39
चालू वर्ष में कुल प्राप्ति	₹12079632.00
कुल प्राप्ति	₹24136900.39
चालू वर्ष में किया गया कुल व्यय	₹9182625.27
अंतिम शेष (31.03.2010)	₹14954275.12

वित्तीय वर्ष 2010–11

प्रारंभिक अवशेष (01.04.2010)	₹14954275.12
चालू वर्ष में कुल प्राप्ति	₹14100301.00
कुल प्राप्ति	₹29054576.12
चालू वर्ष में किया गया कुल व्यय	₹18725511.00
अंतिम शेष (31.03.2011)	₹10329065.12

बैंक शेष

कोषागार (31.03.11)	₹5009519.06
ग्रमीण बैंक(A/C No-197)	₹27706.00
ग्रामीण बैंक (A/C No-197)	₹144672.00
पंजाब नेशनल बैंक (31.03.11)	₹5744989.83
कुल	₹10926886.89

रोकड़ बही तथा बैंक शेष के बीच अंतर ₹597821.77 इसका समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

8. अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण पूर्व के अनुदान के अवशेष की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। लेकिन अनुदानों के सहायक रोकड़ बही (वर्ष 2008–09 से 2010–11) के अनुसार दिनांक 31.03.2011 का अवशेष तथा व्यय निम्न है।

(i) द्वादश वित्त आयोग

	प्रा0 अवशेष	**₹1028086.00**
(i)	NVV 1617 dt 27.03.08	₹495934.00
(ii)	NVV 1337 dt 17.03.10	₹2087800.00
(iii)	NVV 1338 dt 17.03.10	₹723509.00
(iv)	NVV 1338 dt 17.03.10	₹723509.00
		₹5058838.00
(v)	सूद की प्राप्ति	₹166429.00
	कुल राशि	₹5225267.00

व्यय

(क)	ठोस अवशिष्ट पदार्थो का प्रबंधन	₹2760722.00
(ख)	नागरिक सुविधाओं पर व्यय	₹1927502.00
(ग)	अपर समाहर्त्ता राजस्व शाखा को वापसी	₹300.00
		₹4688524.00
	अंतिम अवशेष	₹536743.00

अंकेक्षण आपत्ति

सरकार के दिशा--निर्देश के अनुसार इस राशि को निम्नलिखित शीर्ष में व्यय करना था।

(i)	ठोस अवशिष्टों के प्रबंधन	50%	i.e,	2529419.00
(ii)	Capacity building of city manager	1%	i.e,	50588.00
(iii)	E- governance	3%	i.e,	151765.00
(iv)	नगरिक सुविधाओं पर व्यय	46%	i.e,	2327066.00

(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंध के अन्तर्गत व्यय–नगर पंचायत द्वारा अप्रैल 08 से फरवरी 11 तक ₹2660722.00 का सफाई संबंधी मशीन, एकशन मशीन, फॉगिग मशीन, हैल्डट्राली डस्टबीन, ओटो रिमुवर वाटर टैंकर इत्यादि की क्रय की गई थी। जबकि इस मद में ₹2529419.00 की राशि कर्णांकित थी। अतः₹131303.00 अनियमित व्यय था। इसका कारण स्पष्ट करने तक कुल राशि ₹131303.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) नागरिक सुविधा के अन्तर्गत ₹2327066.00 की राशि कर्णांकित थी जबकि इस मद में व्यय ₹1927502.00 थी। अतः इस अवशेष राशि ₹399564.00 थी। इसे व्यय किया जाय।

(iii) E-governance तथा Capacity building of city Manager मद की राशि क्रमश ₹151765.00 तथा ₹50588.00 थी। इसे व्यय नहीं किया गया था। इसे व्यय करें अथवा स्वीकृति करने वाले पदाधिकारी को वापस कर दे।

(ii) चापाकल निर्माण

चापाकल निर्माण में NVV 856 दिनांक 21.02.08 से ₹1691880.00 का भुगतान प्राप्त था जिसके विरूद्व ₹1687475.00 का व्यय था तथा अवशेष राशि ₹4405.00 थी इसे व्यय अथवा सरकार को वापस किया जाय

(iii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

इस मद में निम्न राशि प्राप्त थी

(i)	उप विकास आयुक्त सह मु0 कार्य0 पदा0 भागलपुर के ज्ञापांक 138/24.04.08	₹2498900.00
(ii)	तथैव Ch.No. 056934/28.01.10	₹2127672.00
(iii)	Ch.No.043976/03-11-10	₹1639117.00
		₹6265689.00
	व्यय राशि	₹4594400.00
	अवशेष राशि	₹1671289.00

अवशेष राशि ₹1671289.00 का अवरोधन किया गया था।

(iv) XIIth FC अनुदान

13 वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पर NVV 1837/30.03.11 को ₹1500000.00 अनुदान प्राप्त था। यह राशि वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी तथा कोई व्यय नही किया गया था।

(v) निवार्चित प्रतिनिधि भत्ता

(i)	NVV 4535 dt 29.08.08	₹83400.00
(ii)	NVV 1430 dt 19.03.10	₹83400.00
(iii)	NVV 1720 dt 20.04.10	₹83400.00
		₹250200.00
	व्यय राशि	₹128200.00
	अवशेष राशि	₹122000.00

(vi) नगर प्रबंधक का मादेय

प्राप्त राशि	NVV6243/3.11.10	₹140000.00
	व्यय राशि	₹139999.00
	अवशेष राशि	₹01.00

56

(vii) मैचिगं ग्रांट

प्राप्त राशि	(i) Bill No 01/09-10	₹78003.00
	(ii)NVV1760/26.03.11	₹1383217.00
	कुल प्राप्त राशि	₹1461220.00
	व्यय राशि	₹76671.00
	अवशेष राशि	₹1384549.00

इसे यथाशीघ्र व्यय करे।

(viii) प्रशासनिक भवन

प्राप्त राशि	NVV Memo No. 1378/30.03.07	₹2887875.00
	व्यय (31.03.11)	₹913543.00
	अवशेष राशि	₹1974332.00

अवशेष राशि यथाशीघ्र व्यय करे।

(xi) सेन्सस

प्राप्त राशि		
(i)	Distt Election Commissioner Bhagalpur Vide 89 dt.7.12.10	₹76500.00
(ii)	---do--- 89 dt 7.12.10	₹171600.00
(iii)	---do--- 25 dt 4.03.11	₹138700.00
(iv)	---do--- 25 dt 4.03.11	₹41000.00
	कुल प्राप्त राशि	₹427800.00
	व्यय राशि	₹422550.00
	अवशेष राशि	₹5250.00

यदि अवशेष राशि की आवश्यकता नही हो तो संस्वीकृतदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

(x) नाला रोड निर्माण (राज्य अनुदान)

प्राप्त राशि	
NVV 1833/9.04.10	₹2809000.00
व्यय	₹2667740.00
अवशेष	₹141260.00

(xi) रोड निर्माण

प्राप्त राशि	
NVV 1482/24.03.10	₹3272000.00
NVV 2029/20.04.10	₹1233000.00
कुल प्राप्ति	₹4505000.00
व्यय	₹4214423.00
अवशेष	₹290577.00
वर्ष 2008–09 से पूर्व की अवशेष राशि	₹5548.00
	₹285029.00

अवशेष राशि को यथाशीघ्र व्यय करे।

(xii) पूर्व का अवशेष अनुदान

सहायक रोकड़ बही के अनुसार अन्य अनुदानों की अवशेष राशि (अनुदान) निम्न थी (31.03.2011)

(i)	SGSRY	₹364797.00
(ii)	NSDP	₹2172.00
(iii)	MLA FUND	₹14500.00
		₹381469.00

9. कबीर अंत्येष्टि अनुदान

कबीर अंत्येष्टि अनुदान के सहायक रोकड़ बही के अनुसार न0 प0 के सभी 23 वार्ड सदस्यों को वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक निम्नलिखित अग्रिम दी गई थी तथा उनके द्वारा समर्पित अभिश्रव निम्न है

वार्ड सं0	कुल अग्रिम की राशि(₹)	कुल अभिश्रव की राशि (₹)	बकाया अग्रिम
1.	13500.00	19500.00	—
2.	18000.00	21000.00	—
3.	16500.00	7500.00	9000.00
4.	16500.00	4500.00	12000.00
5.	18000.00	9000.00	9000.00
6.	15000.00	21000.00	—
7.	16500.00	21000.00	—
8.	15000.00	16500.00	—
9.	15000.00	1500.00	13500.00
10.	15000.00	3000.00	12000.00
11.	13500.00	16500.00	—
12.	16500.00	12000.00	4500.00
13.	18000.00	3000.00	15000.00

SY

14.	18000.00	6000.00	12000.00
15.	13500.00	12000.00	1500.00
16.	18000.00	15000.00	3000.00
17.	16500.00	15000.00	1500.00
18.	18000.00	1500.00	16500.00
19.	18000.00	0.00	18000.00
20.	16500.00	9000.00	7500.00
21.	16500.00	1500.00	15000.00
22.	16500.00	7500.00	9000.00
23.	13500.00	18000.00	—
			159000.00

अंकेक्षण आपत्ति

(1) अभिश्रव का सामंजस्य नही किया गया था इसका सामंजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(2) कबीर अंत्येष्टि के दिशानिर्देश के अनुसार वार्ड सदस्य को एक ही अग्रिम अर्थात ₹1500 अपने पास रखना था जबकि 16 वार्ड को ₹15900.00 की अग्रिम दे दी गई थी जो कबीर अंत्योष्ठि के दिशानिर्देश का उल्लंधन है। अतः कुल अग्रिम राशि ₹159000.00 के विरूद्व केवल ₹24000.00 (16X1500.00) ही अग्रिम दिया जाना चाहिए था। अतः अवशेष अग्रिम ₹135000.00 की वसुली संबंधित वार्ड सदस्य से की जाय।

10. वेतन अनुदान

वेतन मद में निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ था।

कमांक	वित्तीय वर्ष	मॉग	प्राप्त अनुदान	प्रतिशत
1	2008–09	885804.00	708643.00	80%
	(NVV 5208/29.08.08)	805920.00	322368.00	40%
			₹1031011.00	

अंकेक्षण आपत्ति

2008–09 तथा 2010–11 में प्राप्त अनुदान के विरूद्ध जो वेतन का मॉग सरकार को भेजा गया था वह अधिक था।

विवरणी निम्न है।

	वर्ष	नाम	सेवानिवृति की तिथि	अवशेष माह xवेतन	राशि
(i)	2008–09	श्री दिनेश मेहत्तर	30.06.2008	9X4000.00	36000.00

(A) 36000.00X 80%=₹28800.00

	वर्ष	नाम	सेवानिवृति की तिथि	अवशेष xवेतन	राशि
(i)	2010–11	श्री दिनेश मेहत्तर	30.06.2008	12X4000.00	48000.00

(B) 48000.00X 40%=₹19200.00

कुल अधिक अनुदान

(A+B) ₹48000.00

तथा अधिक अनुदान की ₹48000.00 सरकार को वापस किया जाय।

11. पथ तथा नाला निर्माण योजना (राज्य अनुदान)

नगर विकास विभाग तथा आवास विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा नाला निर्माण तथा पथ निर्माण से संबधित निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर अनुदान भेजी गई थी।

1. NVV 1481 dt 24.03.10 -₹ 2809000.00 (नाला निर्माण)

(i)	वार्ड न0 1 में नारायण सिंह के घर से हरिजन टोला तक नाला ढक्कन सहित निर्माण	₹ 2.67 लाख
(ii)	वार्ड सं0 3 में नरेश झा के घर से उपेन्द्र झा के घर तक नाला निर्माण	₹ 7.50 लाख
(iii)	वार्ड सं0 5 सुभाष भगत के घर से वार्ड वाई एच0 साह सिंह के घर तक नाला निर्माण	₹ 1.66 लाख
(iv)	वार्ड सं0 6 में रामदेव मंडल के घर से इमामबाड़ा तक नाला निर्माण	₹ 1.76 लाख
(v)	वार्ड सं0 7 में मो0 नसारूल के घर से मो0 सलीम के घर तक नाला निर्माण	₹ 4.50 लाख
(vi)	वार्ड सं0 10 में दुआलाल यादव के घर से हकिम यादव के घर तक नाला निर्माण	₹ 4.00 लाख
(vii)	वार्ड सं011 में सड़क आर0 ई0 ओ0 से दक्षिण गणेश मंडल के घर होते हुए बनवारी के घर तक नाला निर्माण	₹ 6.00 लाख
		₹ 28.09 लाख

1.NVV 1482 dt 24.03.10 -₹ 3272000.00 (सड़क निर्माण)

(i)	वार्ड न0 3 में सिमरा स्कूल 650 लम्बाई प्रथम भाग PCC करण	₹ 3.86 लाख
(ii)	वार्ड सं0 3 में विष्णुदेव शर्मा के घर से उपेन्द्र झा के घर तक पथ निर्माण	₹ 7.00 लाख
(iii)	वार्ड सं0 4 में मो0 हबुल के घर से 475' लबांई प्रथत भाग में श्रीपुर	₹ 3.49 लाख

52

	REO रोड तक PCC पथ निर्माण	
(iv)	वार्ड सं0 5 में गोदावरी स्कूल से संजय यादव के घर तक PCC पथ निर्माण	₹ 8.00 लाख
(v)	वार्ड सं0 8 में शेख कपूर के घर से नसरूद्दीन के घर तक PCC पथ निर्माण	₹ 5.60 लाख
(vi)	वार्ड सं0 10 में दुआलाल यादव के घर से गिरधारी ठाकुर के घर तक PCC पथ निर्माण	₹ 4.77 लाख
		₹ 32.72 लाख

3. NVV 2029/12.04.10 –₹ 1233000.00 स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

(i) योजना पंजी तथा संचिका के अनुसार वर्ष 2010–11 में नाला निर्माण की अनुदान राशि ₹ 28.09 लाख के विरूद्ध 9 योजनाओं जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 2914000.00 थी तथा जिनकी एकरारनामा राशि ₹ 2687000.00 थी एवम उन पर व्यय ₹ 2679895.00 किया गया था। सरकार द्वारा प्रदान प्रशासनिक अनुमोदन मे से वार्ड न0 3 तथा वार्ड न0 5 (क्रमांक (ii) तथा (iii) पर) की योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया जिनकी प्राक्कलित राशि ₹ 9.16 लाख थी उस स्थान पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना सं0 G-22/10-11, G-23/10-11तथा G-25(1)/10-11 को कार्यान्वित किया गया था जिनकी प्राक्कलित राशि ₹ 8.16 लाख, एकरारनामा राशि ₹ 8.07 लाख तथा व्यय की गई राशि ₹ 8.06 लाख व्यय की थी।

लेकिन इस सभी योजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त नही किया गया था। बिना प्रशासनिक अनुमोदन के ₹ 8.06 लाख का व्यय अनियमित था। तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक व्यय की गई कुल राशि ₹ 8.06 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) सहायक रोकड़ बही के अनुसार पथ निर्माण की राशि ₹ 45.05 लाख (₹ 32.72 लाख +₹ 12.33 लाख) के विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा 11 योजना ली गई थी जिसकी प्रा0 राशि ₹ 42.84 लाख एकरारनामा की राशि ₹ 42.51 लाख थी तथा इस पर ₹ 42.36 लाख व्यय किया गया था। सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त 6 योजना में से दो योजना वार्ड न0 3 तथा 4 (क्रमाक(i) तथा (iii) पर) की योजना जिस की प्राक्कलित राशि ₹ 7.35 लाख थी नही ली गई थी तथा उसके स्थान पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित 4 योजना सं0 G-14/10-11, G-15((i)/10-11, G-15(ii)/10-11 तथा G-16/10-11 योजना ली गई थी तथा जिसकी प्रा0 राशि ₹ 17.39 लाख एकरारनामा राशि ₹ 17.27 लाख एवं उस पर व्यय राशि ₹ 17.23 लाख थी।

लेकिन चार योजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गई थी तथा ₹ 17.23 लाख का व्यय किया गया था। बिना प्रशासनिक अनुमोदन के ₹ 17.23 लाख का व्यय अनियमित था स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक व्यय की गई राशि ₹ 17.23 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iii) PWD के नियमानुसार संवेदक के साथ एकरारनामा PWD form-II पर करना था लेकिन नगर पंचायत द्वारा सादे कागज पर एकरारनामा किया गया था इस कारण विहित फार्म पर अंकित शर्त्तो से नगर पंचायत अनभिज्ञ था तथा 10% क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती (समयावृद्धि) नहीं की गई थी।

(51)

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में एकरारनामा PWD Form II पर किया जाय तथा पूर्व के कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार 10% क्षपिपूर्ति शुल्क की गणना कर उसकी वसूली की जाय।

12. बजट प्राक्कलन

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार कराये जिसमें आगामी वर्ष में होने वाले आय एवं व्यय का उल्लेख रहेगा। धारा 84 के नियमानुसार नगरपालिका अंगीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर जायेगी।

लेकिन अंकेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि बजट के मंजूरी के बिना ही व्यय किया जा रहा था। जो कि नियमित नही है। अतः बिना बजट प्राक्कलन किया गया कुल व्यय ₹ 32220663.00 अप्राधिकृत था।

13. होल्डिंग टैक्स (गृह कर)

नगर पंचायत द्वारा मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था साथ ही Form"K" तथा "L" लेजर का भी संधारण नहीं किया गया था। इस कारण गृह कर की वास्तविक मॉग (बकाया मॉग एवं चालू मॉग) वास्तविक वसूली तथा अंतिम अवशेष (बकाया मॉग एवं चालू मॉग) की गणना नही की जा सकी। मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कर दरोगा द्वारा जो विवरणी वर्ष 2008–09 से 2010–11 को उपलब्ध कराया गया उसके अनुसार मॉग एवं वसूली निम्न थी

वर्ष 2008–09

मॉग (बकाया +चालू)	₹ 2लाख
वसूली(बकाया+चालू)	₹ 1.56 लाख
अन्तःशेष (31.03.2009)	₹ 0.44 लाख

प्रतिशत (वसूली) 78%

वर्ष 2009–10

मॉग (बकाया +चालू)	₹ 1.63लाख
वसूली(बकाया+चालू)	₹ 1.30 लाख
अन्तःशेष (31.03.2009)	₹ 0.33 लाख

प्रतिशत (वसूली) 79.76%

वर्ष 2010–11

माँग (बकाया +चालू)	₹ 1.52लाख
वसूली(बकाया+चालू)	₹ 1.44 लाख
अन्तःशेष (31.03.2009)	₹ 0.08 लाख

प्रतिशत (वसूली) 94.14%

वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2010–11 में वसूली का प्रशित क्रमशः 78% तथा 79.76% था अतः शतप्रतिशत वसूली का प्रयास किया जाय।

पुनः Form-H रसीद के नमूना जॉच क्रम में पाया गया कि किसी भी होल्डिंग कर पर सूद की राशि की गणना नहीं की गयी थी। इस कारण नगर पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही थी।

कार्यपालक पदाधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि इस त्रुटि को अपने स्तर से जॉच कर इस आर्थिक क्षति से नगर पंचायत को बचाये तथा अभी तक हुई आर्थिक क्षति की गणना की कर संबंधित व्यक्तियों से वसूली जाए। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, बिहार पटना को दी जाय।

14 कम जमा/ नहीं जमा

H रसीद, विविध रसीद इत्यादि के नमूना जॉचक्रम में पाया गया कि निम्नलिखित राशि जमा नही/ कम जमा थी। विवरणी निम्न है

क0	रसीद सं0	संग्रहित की गई राशि	जमा की गई राशि	कम(नहीं जमा)
1	H रसीद/5985	156.00	---	156.00
2	H रसीद/5986	78.00	---	78.00
3	H रसीद/5987	09.00	---	09.00
4	H रसीद/6068 से 6070	366.00	336.00	30.00
5	विविध रसीद/297	1000.00	---	1000.00
6	विविध रसीद/294	1000.00	---	1000.00
7	विविध रसीद/295	51.00	---	51.00
8	विविध रसीद/296	1000.00	---	1000.00
9	विविध रसीद/298	500.00	---	500.00
10	विविध रसीद/299	500.00	---	500.00
11	विविध रसीद/300	500.00	---	500.00
				4824.00

उपर्युक्त जमा नहीं/कम जमा राशि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत नवगछिया NB बैंक के खाता सं0 3043000100029639 में ₹ 273.00 तथा विविध रसीद सं0 728 दिनांक 18.11.2011 द्वारा ₹ 4551.00 जमा कर दिया गया। अतः कुल ₹ 4824.00 अंकेक्षण के दौरान जमा की गई थी। जमा राशि की प्रविष्टि बैंक खाते/ ट्रेजरी पासबुक में अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

15. बंदोबस्ती

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 के बंदोबस्ती की संचिका के अनुसार निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की राशि निम्न थी

		उच्चतम डाक की राशि		
क0	सैरात का नाम	वर्ष 2008–09(₹मे)	वर्ष 2009–10(₹मे)	वर्ष 2010–11(₹मे)
1	बस पड़ाव	1012000.00	971900.00	1165501.00
2	मांस हार	9600.00	10500.00	8650.00
3	शौचालय	16500.00	13200.00	14651.00
4	उठाउ दुकान	—	14500.00	—
5	गुमटी	—	—	50251.00
		1038100.00	1010100.00	1239053.00

अंकेक्षण आपत्ति

(1) वर्ष 2009–10 में बस पड़ाव तथा शौचालय की बंदोबस्ती 2008–09 से कम पर की गई थी तथा वर्ष 2010–11 में मांस हार तथा शौचालय की बंदोबस्ती कम पर की गई थी। इस कारण नगर पंचायत को वर्ष ₹ 213483.00 की हानि हुई थी

विस्तृत विवरणी निम्न है।

		2008–09	सुरक्षित जमा राशि	डाक हुआ था	हानि
(क)	बस पड़ाव 2009–10	1012000.00	1113200.00	971900.00	141300.00
(ख)	शौचालय 2009–10	16500.00	18150.00	13200.00	4950.00
	2010–11	18150.00	199965.00	14651.00	5314.00
(ग)	मॉस हार 2010–11	10500.00	11550.00	8650.00	2900.00
					154464.00

अतः₹ 1544664.00 की वसुली संबंधित/जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाय।

(2) वर्ष 2008–09 में मांस हार की बंदोबस्ती तथा वर्ष 2010–11 में बस पड़ाव, उठाऊ दुकान तथा मांस हार की बंदोबस्ती में केवल दो ही डाककर्त्ता थे जबकि कम से कम तीन डाककर्त्ता होना चाहिए था। जो डाक के दिशा–निर्देश के विपरित था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

(3) राजस्व की हानि

निबंधन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में बदोबस्ती की सकल राशि का 3% की राशि के स्टाप पेपर पर एकरारनामा का निबंधन अनिवार्य हैं परन्तु इस आदेश से विपरित नगर पंचायत नवगछिया द्वारा वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में बंदोबस्ती की गई राशि के अभिकर्त्ता से एकरारनामा नहीं किया गया था। इस कारण सरकार को राजस्व की निम्नलिखित हानि हुई थी।

क0	वर्ष	बंदोबस्ती की कुल राशि	3% राजस्व की हानि
1	2008–09	1038100.00	31143.00
2	2009–10	1010100.00	30303.00
3	2010–11	1239053.00	37172.00
		कुल राशि	98618.00

इस प्रकार राज्य सरकार को हानि ₹ 98618.00 की हुयी थी। इसकी वसुली जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय तथा सरकार के संबंधित शीष में जमा की जाए।

16. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकार को जमा नहीं

नगर पंचायत, नवगछिया के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 में मुख्य करों के साथ वसूल किए गए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि (नगर पंचायत, नवगछिया के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार) से वसूली शुल्क की 10% राशि कटौती कर शेष राशि जो राज्य सरकार को भुगतेय थी, नगर पंचायत के द्वारा सरकार को राशि का भुगतान नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न है।

				10% राशि
(A)	वर्ष 2008–09	शिक्षा सेस	₹ 16356.00	₹ 1636.00
		स्वास्थ्य सेस	₹ 16356.00	₹ 1636.00
			₹ 32712.00	₹ 3272.00

₹ 32712.00 – ₹ 3272.00 =₹ 29440.00

				10% राशि
(B)	वर्ष 2009–10	शिक्षा सेस	₹ 13620.00	₹ 1362.00
		स्वास्थ्य सेस	₹ 13620.00	₹ 1362.00
			₹ 27240.00	₹ 2724.00

₹ 27240.00 – ₹ 2724.00 =₹ 24516.00

				10% राशि
(C)	वर्ष 2010–11	शिक्षा सेस	₹ 15136.00	₹ 1514.00
		स्वास्थ्य सेस	₹ 15136.00	₹ 1514.00
			₹ 30272.00	₹ 3028.00

₹ 30272.00 – ₹ 3028.00 =₹ 27244.00

अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कुल राशि A+B+C(29440+24516+27244)=₹ 81200.00 सरकार के खातें में जमा नहीं किया गया था।इस राशि को सरकार के खातें में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. श्रम सेस की कटौती

श्रम संसाधान विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 38 दिनांक 19.06.08 के अनुसार योजनाओं के कुल व्यय का 01% श्रम सेस काटना था तथा निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर सेस की राशि का 01% मासिक सूद भी जमा करना था।

नगर पंचायत नवगछिया द्वारा क्रियान्वित योजनाओं पर वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में प्राक्कलन में श्रम सेस का प्रावधान एवं कटौती नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्न है।

क0	वर्ष	मद	योजना की सं0	योजना पर किया गया व्यय (₹मे)	1% श्रम सेस की राशि (₹में)
1	2008–09	BRGF	11	4533840.00	45338.00
2	2010–11	BRGF	14		
3	2010–11	रोड निर्माण	11	4235604.00	42356.00
4	2010–11	नाला निर्माण	09	2679895.00	26799.00
5	2008–09	निजी स्त्रोत	03	3374760.00	33748.00
6	2009–10	निजी स्त्रोत	05		
7	2010–11	निजी स्त्रोत	01		
8	2008–09	चपाकल	04	1687477.00	16875.00
				कुल	165116.00

प्राक्कलन में प्रावधान नहीं करने तथा श्रम सेस नही काटने का कारण स्पष्ट करने तक श्रम सेस की कुल राशि ₹ 165116.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. अतिरिक्त मुदांक शुल्क

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत को दिसंबर 2006 के बाद अभी तक कोई मुद्रांक शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था। अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया गया था यह संचिका से ज्ञात नहीं हो सका था।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क प्राप्त करने का प्रयास यथाशीध्र करे।

19 वेतन पंजी की अनियमितताएँ

वेतन पंजी के अवलोकन में निम्नलिखित त्रुटियॉ थी।

वेतन पंजी के अवलोकन से पाया गया कि कर्मचारियों के भविष्य निधि की कुल राशि ₹ 156606.00 अभी तक जमा नही की गई थी

कमांक	माह	भविष्य निधि राशि
1	मार्च08	4038.00
2	अप्रेल 08	4038.00
3	मई 08 से फरवरी 09	51400.00
4	मार्च 09	8200.00
5	अप्रैल 09 से जुलाई 09	19800.00
6	अगस्त 09 से सितंबर 09	9428.00
7	अक्टूबर, 09 से फरवरी 10	23992.00
8	मार्च,10 से मार्च 11	35710.00
	कुल राशि	156606.00

अतः PF की कुल राशि ₹ 156606.00 पर कर्मचारियों को प्रत्येक माह सूद की हानि हो रही थी। इसे यथाशीघ्र संबंधित कर्मचारी के खात में जमा कर दें ताकि सूद की हानि न हो।

20. वैट तथा आयकर की कम कटौती

नगर पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न मदों की योजनाओं के विवरणी से ज्ञात हुआ कि वैट की राशि का कम कटौती किया गया था। विवरणी निम्न है।

कमांक	मद का नाम	योजना की संख्या	वास्तविक व्यय की राशि (₹ में)
1	BRGF	25	4533840.00
2	रोड़ निर्माण	11	4235604.00
3	नाला निर्माण	9	2679895.00
4	निजि स्त्रोत	9	3374760.00
5	चापाकल निर्माण	4	1687477.00
			16511576.00

(i) वास्तविक वैट की कटौती– 4% ₹ 660463.00 जबकि वैट पंजी के अनुसार केवल ₹ 76825.00 की कटौती की गई थी। अतः₹ 583638.00 (₹ 660463.00–₹76825.00) की कम कटौती की गई थी। अतः कम वैट कटौती की राशि ₹ 583638.00 की कटौती संबंधित व्यक्ति से की जाय।

(ii) आयकर कटौती 2.266% =16511576X2.266% =₹ 374152.00

जब कि आयकर पंजी के अनुसार ₹ 140957.00 ही की गई थी। अतः₹ 233195.00, (₹ 374152.00–₹140957.00) की कम कटौती की गई थी। अतः ₹ 233195.00 की वसुली संबंधित व्यक्ति से किया जाय।

(iii) चापाकल

नगर विकास एवम आवास विभाग, बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 856 दिनांक 21.02.08 द्वारा 46 चापाकल निर्माण के लिए ₹ 1691880.00 अनुदान नगर परिषद को प्राप्त हुआ था। इसके विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा 44 चापाकल निर्माण सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 22.05.08 के द्वारा स्वीकृति दिखाया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

सरकार द्वारा प्रत्येक चापाकल के लिए ₹ 36780.00 के प्राक्कलन से 46 चापाकल निर्माण के ₹ 1691880.00 दिया गया था। लेकिन पंचायत बोर्ड द्वारा 44 योजना को ही पारित कर कार्यान्वयन किया गया था तथा ₹ 1687475.00 व्यय किया गया था तथा अनुदान का अवशेष राशि ₹ 4405.00 थी। जबकि शेष दो चापाकल जिनकी प्राक्कलित राशि ₹ 73560.00 थी तथा इसमें से अवशेष राशि ₹ 4405.00 को धटाने के बाद ₹ 69155.00 अन्य 44 चापाकलों पर किया गया था जो अनियमित था। उपरलिखित का कारण स्पष्ट करने तक व्यय की गई ₹ 69155.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधिन रखी जाती है।

45

21. वैट की कटौती नहीं एवं ढुलाई व्यय का भुगतान

(i) नगर विकास बिहार सरकार पटना के पत्रांक 3396 दिनांक 26.06.08 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को यह निर्देश दिया गया था कि विज्ञापन तथा टेनडर पर ज्यादा खर्च नहीं करते हुए समाहरणालय, जि0 ग्रा0 वि0 अ0 निकटवर्ती निकाय द्वारा क्रय किये गये दर पर मशीनों/उपकरणों आदि का क्रय किया जाय।

इसे निर्देश के आलोक में नगर पंचायत नवगछिया द्वारा मेसर्स संगम इंजनिरिंग वर्क्स मुजफ्फरपुर से मशीन एवं उपकरणों की खरीद उसी दर पर हुई जो नगर निगम मुजफ्फरपुर सीवान इत्यादि द्वारा खरीद की गई राशि पर ही किया गया था। इन निकायों द्वारा निर्धारित शर्त में ढुलाई व्यय नहीं करना था जबकि नगर पंचायत द्वारा ढुलाई व्यय का भुगतान मेसर्स संगम इंजनिरिंग को किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है।

कमांक	अभिश्रव संख्या	दिनांक	क्रय की गयी सामग्री	ढुलाई में व्यय(₹ मे)
1	04/08–09	23.03.09	Water Tanker	7020.00
2	06/08–09	23.03.09	Vaccum wader	35320.00
3	02/09–10	28.10.09	Suction Pipe	5500.00
4	09/10–11	19.11.10	Trailer	36000.00
				83840.00

ढुलाई व्यय ₹ 83840.00 का भुगतान का सामंजस्य कर अगले अंकेक्षण में दिखाये।

(ii) सभी मशीनों तथा उपकरणों का क्रय जो मेमर्स संगम इंजनिरिंग वर्क्स से किया गया था उसमें वैट की राशि का भुगतान मेसर्स संगम को कर दिया गया था। वैट अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी फर्म को वैट की राशि का भुगतान उस समय करना होगा जब संबंधित फर्म प्रपत्र C-II कार्यालय को जमा करेगा। इसकी सत्यता की जॉच बिक्री कर एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नहीं किया गया हो लेकिन इसके विपरीत नगर पंचायत द्वारा बिना सत्यता की जॉच किये वैट की राशि का भुगतान कर दिया गया था। अतः वैट की राशि ₹ 173414.00 संबंधित अभिकर्त्ता से वसुली योग्य है।

विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है।

कमांक	अभिश्रव संख्या	दिनांक	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य	वैट की राशि
1	01/08–09	25.07.08	Vapour Light	69300.00	2665.00
2	03/08–09	23.03.09	Hand Trolley	40500.00	1558.00
3	04/08–09	23.03.09	Water Tanker	87100.00	3350.00
4	06/08–09	23.03.09	Vaccum loader	495000.00	19038.00
5	01/09–10	18.04.09	Fogging Machine	67545.00	2598.00
6	02/09–10	28.10.09	Suction pipe	383260.00	14741.00
7	03/09–10	16.03.10	Auto Removal	272700.00	10488.00
8	01/10–11	22.04.10	--do--	272700.00	10488.00
9	03/10–11	03.09.10	Sodium Vapour Light	266328.00	10243.00
10	04/10–11	14.09.10	Fogging Machine	427026.00	16424.00
11	05/10–11	14.09.10	Trailer for Fogging Machine	45000.00	1731.00
12	06/10–11	14.09.10	Vapour Light	266328.00	10243.00
13	07/10–11	14.09.10	Vapour Light	147960.00	5691.00

५५)

14	08/10–11	19.11.10	Solar Street Light	992061.00	38156.00
15	09/10–11	19.11.10	Trailer	676000.00	26000.00
				कुल	₹ 173414.00

22. अनियमित भुगतान

योजना संख्या	G-13/10-11(BRGF)
योजना का नाम	वार्ड 18 में दुर्गा स्थान चौक से बमकाली स्थान तक PCC रोड।
प्रा0 राशि	₹ 400000.00
तकनिकी स्वीकृति	सहायक अभियंता/12.05.10
प्रशासनिक अनुमोदन	सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव संख्या –2/14.05.10
संवेदक का नाम	मेमर्स कृष्णा कन्सट्रकशन
एकरारनामा की राशि	₹ 397000.00
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्यमूल्य	₹ 394964.00
वास्तविक भुगतान	₹ 359839.00
सुरक्षित जमा	₹ 19748.00
रॉयल्टी	₹ 5386.00
वैट	₹ 1746.00
आयकर	₹ 8245.00
	₹ 394964.00

अंकेक्षण आपत्ति

इस योजना के निम्नलिखित कार्य प्राक्कलित कार्य से 10% से अधिक था तथा इसके लिए Deviation at a site Statement नहीं बनाया गया था। बिना Deviation at a site Statement का कार्य करना भुगतान करना अनियमित था। विस्तृत विवरणी निम्न है।

कमांक	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा	मापी के अनुसार मात्रा	अंतर	दर	राशि(₹ मे)
1	स्थानीय बालू भराई	8.69m^3	13.50m^3	4.81m^3	117.60/m^3	566.00
2	Brick edge soling	57.18m^2	88.66m^2	31.48m^2	235.95/m^2	7428.00

Carriage of material

Local Sand 5.77@ 138.36/M^3 ₹ 798.00

Brick 1694 No@420.46% ₹ 712.00

Difference cost

Brick 1694 @208 % ₹352.00

₹9856.00

बिना Deviation at a site statement के कार्य पर भुगतान ₹9856.00 अनियमित था। अतः अनियमित भुगतान की राशि ₹9856.00 संबंधित अभिकर्त्ता से वसुली योग्य है।

23. अनियमित भुगतान

योजना सं0	18/10-11(Construction of Drain)
योजना का नाम	रामदेव मंडल के घर से इमामबाड़ा तक नाला निर्माण
प्रा0 राशि	₹176000.00
तकनीकि स्वीकृति	सहायक अभियंता (NREP)/18.05.10
प्रशासनिक अनुमोदन	सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव सं0–2 के दिनांक 14.05.2010
संवेदक का नाम	प्रभात कुमार नया टोला
एकरारनामा राशि	₹173000.00 (Below Estimated Amount)
कार्यदेश की तिथि	07.06.10
कार्य पूर्ण होना था	27.07.10
कार्य पूर्ण हुआ था	24.07.10
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्यमूल्य	172194.00
वास्तविक भुगतान (28.08.10)	157211.00
सुरक्षित जमा	8610.00
रॉयल्टी	1358.00
वैट	1473.00
आयकर	3602.00
	172194.00

अंकेक्षण आपत्ति

(i) मापी पुस्तिका एवम् प्राक्कलन के मिलान में पाया कि निम्नलिखित कार्य प्राक्कलन की मात्रा से 10% से अधिक था तथा इसके लिए Deviation at a site Statement नहीं बनाया गया तथा कार्य अधिक करने का कारण स्पष्ट नही किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्न है।

कमांक	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य	अंतर की मात्रा	दर	राशि(₹ मे)
1	BFS (Brick flat Soling)	97.35m^2	111.79m^2	14.44m^2	157.10	2269.00
2	12mm CP (Cement Plaster)(1:4)	198.42m^2	240.42m^2	42m^2	88.40	3713.00
					कुल	5982.00

अतः ₹5982.00 का व्यय अनियमित था तथा वसुली योग्य है।